



चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
Chaudhary Charan Singh University, Meerut

पत्रांक : मुख्य परीक्षा-2026 / 10050
दिनांक : 14.01.2026

विज्ञापित

विश्वविद्यालय की वार्षिक परीक्षा प्रणाली के अन्तर्गत संचालित समस्त संस्थागत एवं व्यक्तिगत पाठ्यक्रमों की मुख्य परीक्षा (सत्र 2025-26) एवं केवल ऐसे परीक्षार्थी जो मुख्य परीक्षा 2025 में सम्मिलित हुए थे, की बैक पेपर परीक्षा की परीक्षाये माह फरवरी 2026 के मध्य से प्रारम्भ करायी जानी प्रस्तावित हैं।

अतः समस्त वार्षिक परीक्षा प्रणाली के अन्तर्गत संचालित संस्थागत एवं व्यक्तिगत पाठ्यक्रमों के परीक्षा फार्म निम्नलिखित तिथियों में विश्वविद्यालय की वेबसाईट **www.ccsuniversity.ac.in** पर केवल ऑनलाईन माध्यम से निम्नानुसार भरवाये जायेंगे :-

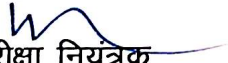
छात्र/छात्राओं हेतु वेबसाईट पर ऑन-लाईन परीक्षा फार्म भरने की प्रारम्भिक तिथि	15.01.2026
छात्र/छात्राओं द्वारा परीक्षा फार्म वेबसाईट पर ऑन-लाईन भरने एवं ऑन-लाईन परीक्षा शुल्क जमा करने की अन्तिम तिथि	30.01.2026
छात्र/छात्राओं द्वारा विलम्ब शुल्क रुपये 250/- के साथ परीक्षा फार्म भरने की अन्तिम तिथि	01.02.2026
छात्र/छात्राओं द्वारा विलम्ब शुल्क रुपये 500/- के साथ परीक्षा फार्म भरने की अन्तिम तिथि	04.02.2026
सम्बन्धित महाविद्यालय/संस्थान में छात्र/छात्राओं द्वारा भरे गये परीक्षा फार्म सत्यापित करने की अन्तिम तिथि	06.02.2026
सम्बन्धित महाविद्यालयों/संस्थानों द्वारा एन0आर0 सहित परीक्षा फार्म विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग में जमा करने की अन्तिम तिथि	09.02.2026

महत्वपूर्ण निर्देश :-

- समस्त अर्ह छात्र/छात्राये व्यक्तिगत पाठ्यक्रमों की मुख्य/एक्स/बैक पेपर परीक्षा हेतु परीक्षा फार्म भरे जाने से पूर्व विश्वविद्यालय वेबसाईट **www.ccsuniversity.ac.in** पर उपलब्ध समस्त सम्बन्धित नियमों/प्रवेश नियमावली/विषय कोड पुस्तिका का भली-भाँति अध्ययन करने के पश्चात् ही परीक्षा फार्म भरा जाना सुनिश्चित करें।
- ऐसे छात्र/छात्रा जो चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ में प्रथम बार प्रवेश/पंजीकरण करवा रहे हैं, के माईग्रेशन प्रमाण पत्र, नामांकन प्रपत्र के साथ महाविद्यालय द्वारा प्रेषित किये जायेगे। परीक्षा फार्म के साथ माईग्रेशन प्रमाण पत्र संलग्न न किये जाये।
- महाविद्यालय विश्वविद्यालय पत्र संख्या : परीक्षा/डी0आर0/9163, दिनांक 27.11.2024 द्वारा निर्गत विज्ञापित में निहित प्रावधानों के अनुसार विश्वविद्यालय में प्रथम बार नामांकित हो रहे छात्रों का नामांकन प्रमाण पत्र एवं माईग्रेशन प्रमाण पत्र जमा करेंगे। नियम का अनुपालन न करने वाले महाविद्यालयों का परीक्षा परिणाम निर्गत नहीं किया जायेगा।

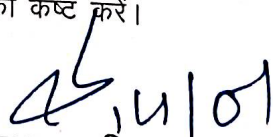
1

4. विश्वविद्यालय नियमानुसार कोई भी अभ्यर्थी एक साथ पूर्ण दो वर्षों के परीक्षा फार्म भरे जाने हेतु अर्ह नहीं होगा।
5. ऐसे छात्र जो मुख्य परीक्षा-2025 में सम्मिलित हुये थे एवं बैंक पेपर परीक्षा हेतु अर्ह हैं, को भी उपर्युक्त तिथियों में बैंक पेपर परीक्षा फार्म भरने की अनुमति प्राप्त होगी।
6. ध्यान रहे वार्षिक परीक्षा प्रणाली वाले पाठ्यक्रमों में री-बैक अनुमन्य नहीं है। इसलिए वर्ष 2025 से पूर्व परीक्षा में सम्मिलित एवं एक बार बैंक पेपर परीक्षा का अवसर प्राप्त कर चुके परीक्षार्थियों को बैंक पेपर परीक्षा फार्म भरना अनुमत नहीं होगा।
7. महाविद्यालयों से अनुरोध है कि परीक्षार्थियों की अर्हता एवं विषय कोड इत्यादि की गहन जाँच करने के पश्चात ही परीक्षा फार्म सत्यापित करें। प्रवेश पत्र निर्गत होने के बाद विषय कोड परिवर्तित करने का विकल्प उपलब्ध नहीं होगा।
8. स्नातक स्तरीय संस्थागत B.A./B.Sc./B.Com. पाठ्यक्रम सत्र 2021-22 से NEP-2020 सेमेस्टर प्रणाली के अन्तर्गत संचालित किये जा रहे हैं। अतः वार्षिक प्रणाली के सन्दर्भित पाठ्यक्रमों में केवल सत्र 2020-21 एवं उससे पूर्व प्रविष्ट छात्र ही अर्हतानुसार परीक्षा फार्म भरने हेतु अनुमत होंगे।


परीक्षा नियंत्रक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

01. प्राचार्य/प्राचार्या/निदेशक, समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय/संस्थान, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ को इस आशय के साथ प्रेषित कि परीक्षा फार्म अग्रसारण से पूर्व अर्हता की भली-भांति जांच कर ली जाये कि जिस पाठ्यक्रम के लिए छात्र आवेदन कर रहा है, उसके लिए वह अर्ह है अथवा नहीं अन्यथा की स्थिति में परीक्षा फार्म निरस्त कर दिया जायेगा, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित छात्र एवं महाविद्यालय/संस्थान का होगा।
02. सचिव कुलपति को, माननीय कुलपति जी के संज्ञानार्थ प्रेषित।
03. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, मेरठ को सूचनार्थ प्रेषित।
04. वैयक्तिक सहायक-कुलसचिव को, कुलसचिव जी के सूचनार्थ प्रेषित।
05. वैयक्तिक सहायक-परीक्षा नियंत्रक को, परीक्षा नियंत्रक जी के सूचनार्थ प्रेषित।
06. वैयक्तिक सहायक-वित्त अधिकारी को वित्त अधिकारी जी के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
07. लेखाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
08. उप कुलसचिव/प्रभारी-अति गोपनीय विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
09. उप कुलसचिव/प्रभारी (परीक्षा/गोपनीय/लेखा/सामान्य/कमैटी सैल) को सूचनार्थ प्रेषित।
10. समस्त अनुभाग प्रभारी (पूछताछ केन्द्र/सूचना पट)।
11. विश्वविद्यालय प्रेस प्रवक्ता/प्रभारी, विश्वविद्यालय वेबसाइट।
12. विश्वविद्यालय द्वारा अधिकृत एजेन्सी, को इस आशय के साथ प्रेषित कि उपरोक्त समस्त पाठ्यक्रमों के पंजीकरण/परीक्षा फार्मों को विश्वविद्यालय नियमानुसार ही भरवाने की व्यवस्था सुनिश्चित करने का कष्ट करें।
13. गार्डफाईल।


उप कुलसचिव (परीक्षा)

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ



पत्रांक : परीक्षा /

दिनांक : 10.01.2025

बी0ए0/बी0कॉम0/एम0ए0/एम0काम0 (व्यक्तिगत) परीक्षा सत्र 2025-26 पाठ्यक्रम हेतु महत्वपूर्ण निर्देश

1. विश्वविद्यालय द्वारा व्यक्तिगत मुख्य परीक्षा-2025-26 हेतु पंजीयन/परीक्षा फार्म भरे जाने की केन्द्रीकृत व्यवस्था स्नातक स्तर पर संचालित बी0ए0 एवं बी0काम0 (प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष) एवं परास्नातक स्तर पर संचालित एम0ए0 एवं एम0काम0 (प्रथम एवं द्वितीय वर्ष) पाठ्यक्रमों के लिये लागू की गयी है।
2. स्नातक के परीक्षार्थी को अधोवर्णित विषयों में से किन्हीं तीन विषयों का चयन करना होगा। बी0ए0 प्रथम वर्ष में चयन किये गये विषय ही द्वितीय तथा तृतीय वर्ष में भी चयनित करने होंगे। द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में विषय परिवर्तन किसी भी दशा में सम्भव नहीं होगा।
3. बी0ए0/बी0कॉम0 प्रथम तथा द्वितीय वर्ष के परीक्षार्थियों को तीन विषयों के अतिरिक्त एक-एक फाउण्डेशन कोर्स का चयन करना होगा जिसके प्राप्तांक परीक्षा में जोड़े जायेंगे।
4. गणित विषय उसी परीक्षार्थी को लेने की अनुमति होगी जिसने इण्टरमीडिएट परीक्षा गणित विषय लेकर उत्तीर्ण की हो।
5. एक साथ तीन साहित्यिक विषय लेने की अनुमति नहीं है। (यथा :- हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत आदि)
6. निम्न विषययुग्म (Subject Combination) एक साथ लेने की अनुमति नहीं है -
(अ) अर्थशास्त्र तथा दर्शन शास्त्र (ब) हिन्दी तथा उर्दू
(स) शिक्षा तथा मनोविज्ञान/दर्शनशास्त्र
7. व्यक्तिगत परीक्षार्थियों को प्रयोगात्मक परीक्षाओं वाले विषय अनुमन्य नहीं है।
8. क्वालीफाईंग कोर्स के अन्तर्गत संचालित "पर्यावरण-अध्ययन" (Environmental Studies) (कोड सं0-008) केवल प्रथम वर्ष के छात्र/छात्राओं के लिए ही अनिवार्य है परन्तु ऐसे छात्र/छात्रायें जो प्रथम वर्ष में उक्त विषय की परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाये हैं, इस विषय (कोड संख्या-008) की परीक्षा केवल प्रथम वर्ष की बैक पेपर परीक्षा अथवा द्वितीय वर्ष या तृतीय वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित होकर उत्तीर्ण कर सकते हैं।
9. क्वालीफाईंग कोर्स के अन्तर्गत संचालित "सामान्य जागरूकता" (General Awareness) (कोड सं0-010) केवल द्वितीय वर्ष के छात्र/छात्राओं के लिए ही अनिवार्य है परन्तु ऐसे छात्र/छात्रायें जो द्वितीय वर्ष में उक्त विषय की परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाये हैं, इस विषय (कोड संख्या-010) की परीक्षा केवल द्वितीय वर्ष की बैक पेपर परीक्षा या तृतीय वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित होकर उत्तीर्ण कर सकते हैं।
10. विश्वविद्यालय द्वारा ऑनलाईन प्रक्रिया अपनाते हुये समस्त व्यक्तिगत पंजीयन/परीक्षा फार्म औपबन्धिक (Provisional) रूप से भरवाये जा रहे हैं। यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा गलत रूप से पंजीयन/परीक्षा फार्म भरा जाता है तो ऐसे पंजीयन/ परीक्षा फार्म स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

व्यक्तिगत परीक्षा-2025-26 के लिए पात्रता एवं मुख्य नियम

इन सभी नियमों की जांच परीक्षा फार्म जमा करने से पूर्व महाविद्यालय स्तर पर गहनता से कर ली जाये तभी परीक्षा फार्म विश्वविद्यालय में जमा किये जायें।

1. (i) परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 16.12.2009 में लिये गये निर्णयानुसार उत्तर प्रदेश में स्थित मान्यता प्राप्त बोर्ड/ विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त किसी अभ्यर्थी को निवास प्रमाण-पत्र लगाने की आवश्यकता नहीं होगी, परन्तु उत्तर प्रदेश में रहने वाले ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने अपनी अर्हता परीक्षा, उत्तर प्रदेश से बाहर अन्य किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है, तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत डोमीसाइल प्रमाण-पत्र/ उत्तर प्रदेश में निवास स्थान का आधार कार्ड फार्म के साथ संलग्न करने पर, इस विश्वविद्यालय की व्यक्तिगत परीक्षा में बिना विशेष शुल्क दिये सम्मिलित हो सकते हैं अन्यथा की स्थिति में रु0 5,500/- विशेष शुल्क देय होगा। परीक्षा फार्म भरने की तिथि के बाद निर्गत डोमीसाइल प्रमाण-पत्र/आधार कार्ड मान्य नहीं होगा।
(ii) विशेष शुल्क सम्बन्धी यह प्रावधान इस विश्वविद्यालय की व्यक्तिगत परीक्षा में शामिल होने वाले केवल नवीन छात्रों पर ही लागू होगा। ऐसे छात्र/छात्रा जो पहले से ही चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ में पंजीकृत/नामांकित हैं अर्थात् यदि विश्वविद्यालय द्वारा उन्हें नामांकन संख्या आवंटित है, उन्हें विशेष शुल्क से छूट होगी।
2. परीक्षा फार्म पर दिया गया प्रमाण-पत्र सम्बन्धित परीक्षा केन्द्र के प्राचार्य/प्राचार्या द्वारा हस्ताक्षरित होना अनिवार्य है। रिक्त होने अथवा उपरोक्त के अतिरिक्त किसी अन्य से हस्ताक्षरित होने पर परीक्षा फार्म निरस्त कर दिया जायेगा।
3. अन्य विश्वविद्यालय से प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थी को चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ की द्वितीय/तृतीय वर्ष की परीक्षा में व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में बैठने की अनुमति नहीं है।

10+2 परीक्षा पद्धति अथवा उसके समकक्ष परीक्षा पास अभ्यर्थी ही विश्वविद्यालय की बी0ए0/बी0कॉम0 (त्रि-वर्षीय पाठ्यक्रम) की प्रथम वर्ष की परीक्षा में इस विश्वविद्यालय के निर्धारित नियमों के अन्तर्गत सम्मिलित हो सकते हैं। छात्र/छात्रा द्वारा 10+2 परीक्षाएँ इस विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

5. राष्ट्रीय ओपन स्कूल से उत्तीर्ण अथवा सैकेन्डरी व सीनियर सैकेन्डरी परीक्षा 10+2 परीक्षा पद्धति से पांच विषयों में उत्तीर्ण होने पर ही बी0ए0/बी0कॉम0 प्रथम भाग की परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे। 11 वर्षों में ही सीनियर सैकेन्डरी अथवा चार विषयों में इण्टर/अर्ह परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं है।
6. 10+2+3 (10+2+2 वर्ष 1986 तक) परीक्षा पद्धति के अन्तर्गत उत्तीर्ण स्नातक अभ्यर्थी ही विश्वविद्यालय की एम0ए0/एम0कॉम0 परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अर्ह हैं। परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अभ्यर्थी की हाई स्कूल, इण्टरमीडिएट तथा स्नातक परीक्षाएँ इस विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। जिन्होंने 10+1+3, 11+3 अथवा उसके समकक्ष पद्धतियों से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण की हैं वे इस विश्वविद्यालय की एम0ए0/एम0कॉम0 की परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सकेंगे।
7. वैध प्रवेश-पत्र के बिना परीक्षा में सम्मिलित होना अथवा महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय की अनुमति के बिना परीक्षा में सम्मिलित कराया जाना मान्य नहीं होगा और अभ्यर्थी इसके लिए स्वयं उत्तरदायी होगा।
8. विश्वविद्यालय के नियमानुसार परीक्षार्थी को तीन वर्षीय परीक्षा तथा दो वर्षीय परीक्षा पूर्ण सीमावधि की गणना शैक्षिक सत्र से की जायेगी जो क्रमशः तीन वर्षीय पाठ्यक्रम को छः वर्ष में तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रम को चार वर्ष में पूर्ण कर लेना होगा अन्यथा उसके द्वारा उत्तीर्ण पूर्व परीक्षा रद्द समझी जायेगी।
9. अभ्यर्थी को आवेदन-पत्र के साथ संलग्न विषय/तथा उस विषय से सम्बन्धित आवेदन-पत्र में अंकित प्रश्न-पत्रों का ही चयन करना है, किसी अन्य विषय/प्रश्न-पत्र की अनुमति नहीं दी जायेगी।
10. विश्वविद्यालय ऐसे अभ्यर्थी को दी गई अनुमति वापस ले सकता है, जिसे विश्वविद्यालय ने भूलवश अथवा त्रुटिवश परीक्षा में बैठने की अनुमति प्रदान कर दी हो जबकि वह परीक्षा में बैठने के लिए अर्ह न हो।
11. परीक्षा उत्तीर्ण होने के उपरान्त भी तथ्य गलत होने पर विश्वविद्यालय किसी भी ऐसे परीक्षार्थी का परीक्षाफल/उपाधि रद्द कर सकता है जिसने विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमों एवं निर्देशों के विरुद्ध कार्य किया हो अथवा जिसने परीक्षा फार्म के साथ जाली प्रमाण-पत्रों की प्रतियाँ संलग्न की हों। यदि जाँच में किसी भी समय प्रमाण-पत्र फर्जी पाये गये तो अभ्यर्थी के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही भी की जायेगी।
12. अभ्यर्थी भली-भाँति यह सुनिश्चित कर लें कि परीक्षा फार्म आनलाईन भरने के पश्चात् विषय/प्रश्न-पत्र एवं केन्द्र परिवर्तन करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
13. जिन छात्रों ने किसी बाह्य विश्वविद्यालय से, एक वर्षीय (सिंगल सिटिंग) पाठ्यक्रम से वर्ष 1998 के बाद स्नातक उपाधि प्राप्त की है, वे परास्नातक परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अर्ह नहीं हैं।
14. जिन छात्रों ने सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी से उत्तर मध्यमा एवं शास्त्री परीक्षा उत्तीर्ण की है वे क्रमशः बी0ए0 तथा एम0ए0 (केवल संस्कृत) की परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं।
15. जिन छात्रों ने साहित्य सम्मेलन, प्रयाग (इलाहाबाद) से परीक्षा उत्तीर्ण की है, वे इस विश्वविद्यालय की किसी भी परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अर्ह नहीं हैं।
16. बी0बी0ए0 तथा बी0सी0ए0 की परीक्षा, क्रमशः बी0कॉम0 तथा बी0एस-सी0 (गणित) की स्नातक उपाधि के समतुल्य मानी जायेगी।
17. व्यक्तिगत छात्रों को स्नातक/स्नातकोत्तर परीक्षा में प्रायोगिक विषय/डिज़रटेशन (Dissertation) लेने की अनुमति नहीं है।
18. अभ्यर्थी, जिसने आबिद, कामिल परीक्षा जामिया-ए-उर्दू, अलीगढ़ से उत्तीर्ण की है वे इस विश्वविद्यालय में किसी भी विषय में प्रवेश के लिए अर्ह नहीं हैं।
IMPORTANT : Candidate who have passed any examination from "All India Board of Secondary Education, Delhi" (अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद, दिल्ली), "Central Board of Higher Education, Uttam Nagar, New Delhi" (केन्द्रीय उच्चतर शिक्षा परिषद, उत्तम नगर, नई दिल्ली), "Central Board of High Education, East Patel Nagar, New Delhi" (केन्द्रीय उच्च शिक्षा परिषद, पूर्व पटेल नगर, नई दिल्ली), "Board of Adult Education & Training, Aliganj, Mubarakpur, New Delhi" (वयस्क एवं तकनीकी शिक्षा परिषद, अलीगंज, मुबारकपुर, नई दिल्ली) तथा "Gurukul Vishvidyalaya, Vrindavan" (गुरुकुल विश्वविद्यालय वृन्दावन) etc. are not eligible for admission to any course of study in this University.
 उक्त के अतिरिक्त प्रवेश हेतु पात्रता सम्बन्धी बोर्ड/विश्वविद्यालय की सूची निर्धारित प्रवेश नियमावली के अनुरूप ही मान्य होगी।
19. परीक्षार्थी को परीक्षा फार्म के साथ आवश्यक प्रमाण-पत्रों को संलग्न करके अपने चयनित केन्द्र/महाविद्यालय में निर्धारित तिथि के अन्दर जमा करना होगा, जिसकी केन्द्र/महाविद्यालय से रसीद प्राप्त कर एवं चालान फार्म की एक प्रति परीक्षार्थी को सुरक्षित रखनी चाहिए।
20. किसी भी कारण से यदि कोई परीक्षार्थी परीक्षा में सम्मिलित नहीं होता है अथवा परीक्षा फार्म निरस्त हो जाता है तो उसका परीक्षा शुल्क नहीं लौटाया जायेगा और न ही अगली परीक्षा के लिए सुरक्षित किया जायेगा।

21. स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण छात्र/छात्रा ही स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष का परीक्षा फार्म भरने के लिए अर्ह है।
22. स्नातक तृतीय वर्ष की बैक पेपर परीक्षा में शामिल छात्र स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष का परीक्षा फार्म नहीं भर सकता है।
23. विश्वविद्यालय परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 14.08.2018 के मद संख्या-2 के अनुपालन में विश्वविद्यालय की व्यक्तिगत परीक्षाओं हेतु परीक्षा फार्म भरवाये जाने हेतु बनायी गयी समिति के निर्णयानुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्गत पत्रांक D.O.No. 1-15/2015(CPP-II) दिनांक अगस्त, 2015 के आधार पर ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने द्विवर्षीय स्नातक उपाधि वर्ष 1986 तक पूर्ण कर ली है और ऐसे अभ्यर्थी परास्नातक स्तर (एम0ए0/एम0काम0) हेतु आवेदन करना चाहते हैं उन्हें भी व्यक्तिगत पंजीयन/परीक्षा फार्म भरे जाने की अनुमति प्रदान की गयी है।
24. स्नातक स्तर (बी0ए0/बी0काम0) के छात्र केवल एक कोड/ग्रुप के साथ फाउण्डेशन कोर्स के साथ एक क्वालीफाईंग कोर्स हेतु तथा परास्नातक स्तर (एम0ए0/एम0काम0) हेतु पाँच विषय कोड वाले एक कोड में तथा छः या छः से अधिक विषय कोड वाले दो कोडों की बैक पेपर परीक्षा हेतु ही अर्ह होंगे।
25. अभ्यर्थी जिस सत्र की मुख्य परीक्षा में सम्मिलित हुआ है वह केवल उसी सत्र में आयोजित होने वाली बैक पेपर परीक्षा हेतु अर्ह होगा। पूर्व के वर्षों में सम्मिलित अभ्यर्थी बैक पेपर परीक्षा हेतु अर्ह नहीं होंगे। उक्त के अतिरिक्त किसी भी दशा में री-बैक अनुमन्य नहीं है।
26. यदि कोई विधिक विवाद उत्पन्न होता है तो इसका परिक्षेत्र माननीय उच्च न्यायालय, प्रयागराज में निहित होगा।

विशेष नोट :-

अभ्यर्थी उपर्युक्त निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ने के उपरान्त ही व्यक्तिगत परीक्षा-2025-26 हेतु परीक्षा फार्म भरें अन्यथा अर्हता पूर्ण न करने के कारण विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षार्थी का परीक्षा फार्म एवं परीक्षा हो जाने की स्थिति में परीक्षाफल भी निरस्त किया जा सकता है।

स्नातक (व्यक्तिगत) हेतु अनुमन्य विषय

बी0काम0

बी0ए0-

1. Education,
2. Economics
3. English
4. Hindi
5. History
6. Mathematics
7. Urdu
8. Political Science
9. Sanskrit
10. Sociology

परास्नातक (व्यक्तिगत) हेतु अनुमन्य विषय

एम0काम0

एम0ए0-

1. Education
2. Economics
3. English
4. Hindi
5. History
6. Mathematics
7. Urdu
8. Political Science
9. Sanskrit
10. Sociology
11. Defence Studies
12. Philosophy


परीक्षा नियंत्रक